भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या **62***

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का उत्पादन

62*. श्रीमती लवली आनंद:
श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार की उर्वरकों की अधिक खपत वाले बिहार जैसे राज्यों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आयातित उर्वरकों की कीमत कम होने के कारण देश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'उर्वरकों का उत्पादन' के संबंध में श्रीमती लवली आनंद और श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा पूछे गए दिनांक 07.02.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 62* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान की 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई के पुनरुद्धार के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने आरएसी के अतिरिक्त स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)–2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटी का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

इन उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी का रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है।

पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनमें पोषक-तत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक/द्विवार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है। पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित है और उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन/आयात/घरेलू उत्पादन क्षमताओं का विकास करती हैं। इसके अलावा, आयातित उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) अनुरोधों के आधार पर, उत्पादन को बढ़ावा देने और उर्वरक उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को अभिचिह्नित किया गया है/रिकॉर्ड में लिया गया है।

(ii) शीरे से प्राप्त पोटाश(पीडीएम), जो 100% स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, को पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

(iii) एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, पर माल भाड़ा सब्सिडी, मृदा में फास्फेटयुक्त या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से लागू है।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, पीएण्डके उर्वरकों की संस्थापित क्षमता वर्ष 2014-15 के दौरान 146.24 एलएमटी से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 160.50 एलएमटी हो गई है। इसी प्रकार एसएसपी की संस्थापित क्षमता वर्ष 2014-15 के दौरान 96.07 एलएमटी से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 123.15 एलएमटी हो गई है।

(ख): किसी राज्य में उर्वरक संयंत्र की स्थापना मुख्यत: व्यवहार्यता पर आधारित होती है न कि उस स्थान पर उर्वरकों की खपत की प्रवृत्ति पर। प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएण्डएफडब्ल्यू द्वारा किए गए आकलन के अनुसार राज्यों में उर्वरकों की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है। इन आपूर्तियों को स्वदेशी उत्पादन के साथ-साथ आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है। सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ): जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लेख किया गया है, सरकार ने देश में उर्वरकों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता हासिल करने के लिए कई प्रभावकारी कदम उठाए हैं। तथापि, उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन देश की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है और इस अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन, खपत और आयात से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:-

(एलएमटी में)

यूरिया			
वर्ष	**उत्पादन**	**खपत**	**आयात**
2021-22	250.72	341.73	91.36
2022-23	284.94	357.26	75.80
2023-24	314.07	357.81	70.42

(एलएमटी में)

पीएंडके			
वर्ष	**उत्पादन**	**खपत**	**आयात**
2021-22	185.23	294.70	90.92
2022-23	200.35	279.12	112.01
2023-24	189.26	288.42	106.53

******